बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड पटना–15

पत्रांक– BHRC/विविध– 26 / 2016........... पटना, दिनांक........2019

प्रेषक,

उप सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ।

सेवा में,

श्री उमेश प्रसाद रजक
सरकार के अवर सचिव,
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना ।

विषय : **Common Service Center से परिवाद दायर करने हेतु सूचना प्रकाशित करने के संबंध में**

प्रसंग : आपका पत्र सं0– ओ0 / रा0मा0आ0– 81 / 2019 6995 दिनांक 03.07.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में आम जनों द्वारा परिवाद दायर करने हेतु Common Service Centres के उपयोग के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य के प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर इसे लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रकाशित कराने हेतु सूचना प्रारुप (पाँच मूल प्रतियों में सी0डी0 सहित) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय। संलग्न सूचना कुर्ती देव 010 में अंकित है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
उप सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांक– BHRC/विविध– 26 / 2016....13137 पटना, दिनांक..17/7/..2019

प्रतिलिपिः सूचना प्रौद्योगकी प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु (अनुलग्नक सहित) प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोक्त।

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना - 15

आवश्यक सूचना

निदेशानुसार एतत्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली को अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले मानवाधिकार से संबंधित परिवादों के अतिरिक्त ग्रामों/ नगरों में स्थापित Common Service Centre (सुविधा केन्द्र) में ₹ 30 के शुल्क का भुगतान कर त्वरित कार्रवाई हेतु परिवाद दाखिल किया जा सकता है।

Rajesh.
16/7/19

सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग,
पटना